श्री जय राम ठाकुर
मान्नीय मुख्यमंत्री हि.प्र.

सड़क सुरक्षा – जीवन रक्षा

श्री बिक्रम सिंह
मान्नीय उद्योग, परिवहन तथा
श्रम एवं रोजगार मंत्री हि.प्र.

सड़क दुर्घटना से बचें एवं दूसरों को भी बचाएं।

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में वाहनों की संख्या

1.	मोटर साइकिल / स्कूटर	1021003
2.	मोटर कार	600437
3.	माल वाहक वाहन	166036
4.	रोगी वाहन	1353
5.	मैक्सी कैब	12267
6.	निर्माण उपकरण वाहक वाहन	5938
7.	बस	17976
8.	ऐग्रीकल्चर ट्रैक्टर	13822
9.	ट्रैक्टर कमर्शियल	21770
10.	अन्य	16450
11.	कुल वाहन	1905087

हिमाचल प्रदेश में सड़कों पर किलोमीटरों में प्रतिघंटा अधिकतम गति

क्रम संख्या	मोटरयानों के वर्ग	राष्ट्रीय उच्चमार्ग/राज्य उच्चमार्ग (मध्य पट्टियों/विभाजकों सहित सड़कें) 25 प्रतिशत तक प्लेन/रोलिंग पारगामी ढाल	राष्ट्रीय उच्चमार्ग/राज्य उच्चमार्ग मुख्य जिला मार्ग (25 प्रशित से अधिक पारगामी ढाल वाला पहाड़/खड़ा भू–भाग	नगरपालिका सीमाओं के भीतर/शहर/नगरों/ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्मित समस्त सड़कें	ग्रामीण/प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना/नाबार्ड सड़कें	5 मीटर से कम चौड़ाई वाली गांव की जीप चलाने योग्य सड़कें	स्कूलों, अस्पतालों के पास अगर प्रति बंधित/सील्ड सड़कें (मार्ग)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ऐसे मोटरयान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त आठ सीटों से अनधिक यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है (एम1 प्रवर्ग यान)	65	55	30	25	25	20
2.	ऐसे मोटर यान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त नौ या आठ सीटों से अधिक यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है (एम2 और एम3 प्रवर्ग यान)	55	45	40	25	25	20
3.	ऐसे मोटर यान, जिनका उपयोग माल के वहन के लिए किया जाता है (एन प्रवर्ग के समस्त यान)	50	40	25	25	25	20
4.	मोटर साइकिल	60	55	30	25	25	20
5.	चौपहिया साईकिल	30	30	20	25	25	20
6.	तिपहिया यान	40	40	20	25	25	20

यदि गति अधिसूचित गति सीमा से केवल पांच प्रतिशत तक अधिक पाई जाती है तो कोई चालान नहीं किया जाएगा।

यातायात नियमों का सदैव पालन करें।

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रकाशित

संपादन कार्यः श्री अमर सिंह, उप-पुलिस अधीक्षक, श्री पूर्ण चन्द चौहान, उप-निदेशक (शिक्षा)

रेखांकन एवं टंकणः श्री नितेश कुमार

हि.प्र. राज्य सहकारी विकास संघ मुद्रणालय, शिमला-4 द्वारा मुद्रित | 0177-2656667

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश का सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ 'सड़क सुरक्षा – जीवन रक्षा' पर एक पुस्तिका का प्रकाशन करने जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश देश में एक समृद्ध एवं खुशहाल प्रदेश के नाम से विख्यात है। विगत् पाँच दशकों की विकास यात्रा में राज्य ने अनेक मील पत्थर स्थापित किए हैं वहीं राज्य की आर्थिकी में भी आशातीत बढ़ौतरी हुई है। प्रति व्यक्ति आय तथा सम्पन्नता के आंकड़ों में भी आज हमारा प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में भी अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। प्रदेश में आवागमन का मुख्य साधन सड़कें हैं और राज्य में वाहनों की संख्या 19 लाख से अधिक है। प्रदेश सरकार ने यातायात नियमों को कड़ाई से लागू किया है लेकिन इसके बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में भी वृद्धि देखी जा रही है। विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही पुस्तिका में यातायात के नियमों तथा अन्य आंकड़ों को दर्शाया गया है ताकि आम जन सुरक्षित यात्रा कर सकें और दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

मैं, विभाग के प्रयासों की सराहना करता हूँ। मुझे आशा है कि इस पुस्तिका के माध्यम से आम जन विशेषकर युवाओं को यातायात नियमों से अवगत करवाने में मदद मिलेगी।

(जय राम ठाकुर)
मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश का सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ 'सड़क सुरक्षा – जीवन रक्षा' पर एक पुस्तिका का प्रकाशन करने जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग में अपनी विभिन्न प्रणालियों में ई–गवर्नेंस को लागू करने में पहल की है। ई–परिवहन व्यवस्था का मूल उद्देश्य आम जन को विभाग की ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना है। ये सभी सेवाएं आम जनता को उनके घर–द्वार पर लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध हो रही हैं। विभाग द्वारा आम जन को जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विभाग द्वारा एक पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है जिसमें यातायात नियमों एवं सेवाओं का सम्पूर्ण विवरण समाहित है।

मैं, विभाग द्वारा जन कल्याण के इन पुनीत एवं उत्तम कार्यों के लिए उन्हें बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह पुस्तिका जन उपयोगी साबित होगी।

(बिक्रम सिंह)
उद्योग, परिवहन तथा श्रम एवं
रोज़गार मंत्री, हिमाचल प्रदेश

मेरा संकल्प – सेवा संकल्प

मैं हमेशा सीट बेल्ट पहनूंगा एवम् सड़क संकेतों का पालन करूंगा और सभी राहगीरों खास तौर पर बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और सड़क पर आने वाले आवारा पशुओं का खास ध्यान रखूंगा तथा हमेशा एम्बुलेंस और अग्निशमक वाहन को आगे जाने के लिए जगह दूंगा।

मैं अपनी आंखों की जांच समय-समय पर करवाता रहूंगा तथा अपने वाहन का रख-रखाव अच्छी तरह से करूंगा एवं नियमित रूप से वाहन की जांच करवाऊंगा। मैं क्लच का सही इस्तेमाल करके ईंधन की बचत करूंगा तथा वाहन को सही रखकर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाऊंगा। मैं सड़क और यातायात के सभी नियमों का पालन करूंगा एवम् आवश्यकता पड़ने पर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की तुरन्त सहायता करके उसे अस्पताल पहुंचाऊंगा और एक नेक व्यक्ति (GOOD SAMARITAN) का दायित्व निभाऊंगा।

आईए ठान लें

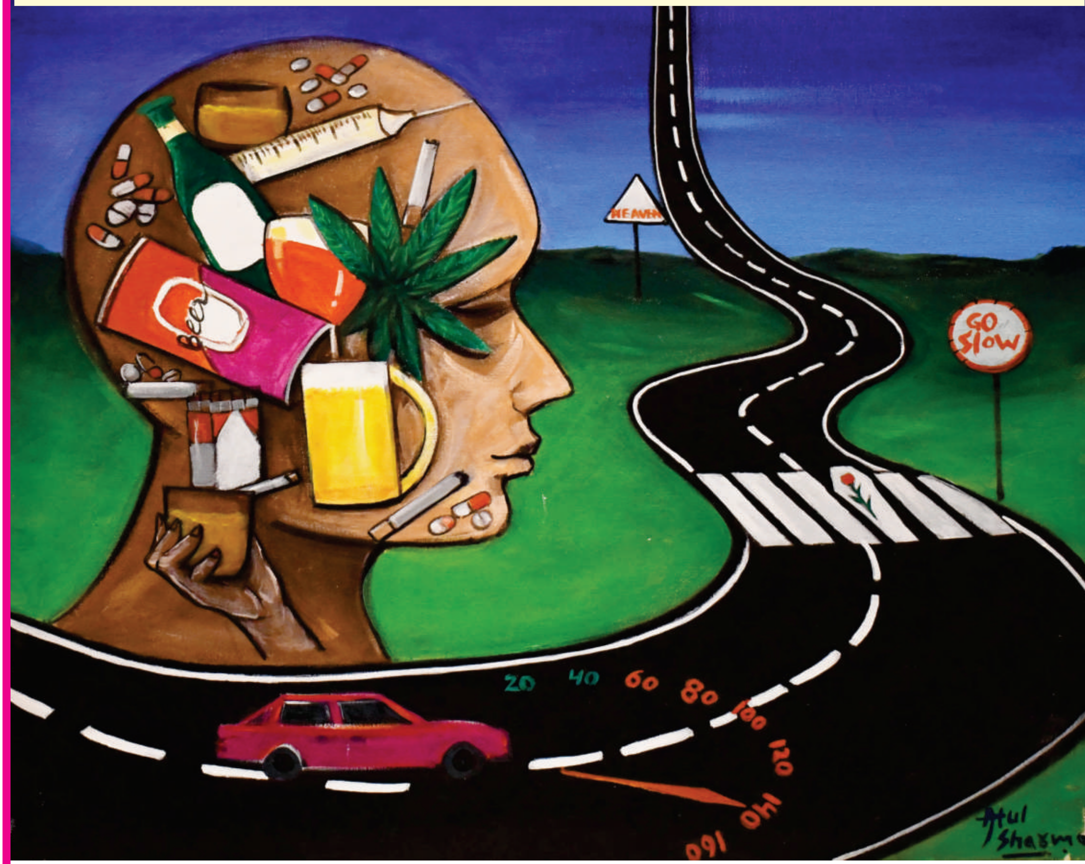

मैं कभी भी शराब पीकर वाहन नहीं चलाऊंगा और न ही लाल बत्ती सिग्नल को तोड़ूंगा। मैं वाहन चलाते समय मोबाईल फोन पर बात नहीं करूंगा और न ही वाहन को निर्धारित गति सीमा से अधिक गति में चलाऊंगा। मैं कभी भी गलत दिशा से ओवरटेक नहीं करूंगा। थका हुआ या तनावग्रस्त होने पर वाहन नहीं चलाऊंगा और स्कूल अस्पताल जैसे ध्वनि निषेधित क्षेत्रों में हॉर्न नहीं बजाऊंगा एवम् सावधानी पूर्वक वाहन चलाऊंगा।

संभल कर चलें – सुरक्षित रहें
हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं : एक परिदृश्य

हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत का एक पर्वतीय प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश की जनसंख्या लगभग 74 लाख है तथा सड़कों की कुल लम्बाई वर्ष 2019–2020 के आंकड़ों के मुताबिक 39,475 किलोमीटर है।

हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सड़क दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है तथा कठिन भगौलिक परिस्थितियों के कारण दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को उचित समय पर प्रारंभिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधायें प्रदान करना कठिन कार्य है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यदि कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी–नालों व गहरी खाई में गिर जाता है तो उसमें सवार व्यक्तियों की जान बचने की बहुत कम सम्भावनाऐं होती हैं।

हिमाचल में प्रतिवर्ष औसतन 3 हज़ार सडक दुर्घटनाऐं घटित होती हैं जिसमें लगभग 1200 लोगों की जानें जाती हैं तथा 5 हजार लोग जख्मी होते हैं। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण तीव्र गति से वाहन चलाना है। इसके अतिरिक्त खतरनाक तरीके व लापरवाही से वाहन चलाना, गलत तरीके से ओवरटेकिंग करना, गलत तरीके से लेन परिवर्तन करना तथा गलत तरीके से मुड़ना व नशा करके वाहन चलाना है। प्रदेश में लगभग 95 प्रतिशत सड़क दुर्घटनायें मानवीय भूलों के कारण होती हैं तथा खराब मौसम व अन्य कारणों से घटित होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या करीब 5 प्रतिशत है। सड़क दुर्घटनाओं में शामिल वाहनों में सबसे अधिक संख्या मोटर कार /जीप व दोपहिया वाहन है।

पहाड़ी प्रदेश होने तथा सड़कों की चौड़ाई अधिक न होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य मार्गों पर गति के कारण केवल 48.75 प्रतिशत सड़क हादसे होते हैं परन्तु 51.25 प्रतिशत सड़क दुर्घटनायें राष्ट्रीय राजमार्गों पर होती हैं जोकि कुल सड़कों की लंबाई का केवल 6.59 प्रतिशत है। क्योंकि इन सड़कों की दशा प्रदेश में अन्य सड़कों से अच्छी होती है तथा वाहन चालक इन मार्गों पर तीव्र गति एवम लापरवाही से वाहन चलाते हैं जोकि प्रदेश में होने वाली घातक दुर्घटनाओं का कारण बनता हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के बाद सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनायें संपर्क मार्गों एवम राज्य मार्गों पर होती हैं।

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं मे जान गंवाने वाले तथा गम्भीर एवम आंशिक रूप से घायल होने वाले व्यक्तियों की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होती है। इस आयु वर्ग के ज्यादातर लोग लाइसेंस धारक होते हैं तथा आयु के मुताबिक इनका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। यह आंकड़े साबित करते हैं कि 21 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के अधिकतर लोग वाहनों का प्रयोग करते हैं तथा तेज रफ्तारी एवम लापरवाही से वाहन चलाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं।

हिमाचल प्रदेश में अधिकतर सड़क दुर्घटनायें दिन के समय घटित होती हैं परंतु शाम 5 बजे से 10 बजे के बीच घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बहुत अधिक है। इन 5 घंटों में घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का कारण सड़कों पर वाहनों की अधिक संख्या होना तथा तेज रफ्तारी एवं लापरवाही से वाहन चलाना है क्योंकि यह वह समय होता है जब अधिकतर लोग अपने कार्यालयों एवम व्यावसायिक स्थलों से अपने–अपने निवास के लिए प्रस्थान करते हैं तथा शीघ्रता में होने के कारण, अंधेरा होने व सड़कों की सही दशा न होने के कारण सड़क दुर्घटनायें घटित होती हैं। कुछ वाहन चालकों द्वारा शाम के समय शराब व अन्य प्रकार के नशे का सेवन करके वाहन चलाने के कारण भी बहुत सी घातक सड़क दुर्घटनायें घटित होती हैं।

पहाडी प्रदेश होने के कारण हिमाचल प्रदेश देश व विदेश के पर्यटकों का पंसदीदा क्षेत्र है तथा लगभग पूरे वर्ष ही प्रदेश में लाखों की संख्या में सैलानी प्रवेश करते हैं जिस कारण प्रदेश में वाहनों की संख्या प्रदेश में पंजीकृत वाहनों की संख्या से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ जाती है।

हालांकि हिमाचल प्रदेश शांत पहाड़ी क्षेत्र तथा देवभूमि होने के कारण यहाँ के अधिकतर लोग सभ्य, संवेदनशील एवं कानूनों का पालन करने वाले हैं तथा दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं परन्तु सड़क सुरक्षा नियमों तथा इससे संबधित कानून के प्रावधानों की जानकारी के अभाव में तथा प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सड़क दुर्घटनाऐं घटित होती हैं तथा दुर्घटनाग्रस्त वाहनों में सवार घायल व्यक्तियों को समय पर समुचित चिकित्सा सहायता मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सड़कों की दशा तथा सीमित चिकित्सा सुविधाएँ होने के बावजूद वर्ष 2016 से 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में 29.32

प्रतिशत, मृतकों की संख्या में 29.74 प्रतिशत एवं घायलों की संख्या में 44.08 प्रतिशत की लगातार वर्षवार कमी देखी जा रही है जबकि वर्ष 2016 से 2020 तक प्रदेश में वाहनों की संख्या में 37.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिससे यह साबित होता है कि हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा के उपायों को अपनाकर तथा लागू करके सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने का सराहनीय कार्य किया है। यह कार्य किसी एक संस्था एवं विभाग के प्रयासों के कारण फलीभूत नहीं हुआ है अपितु इसमें सभी हितधारक विभागों जैसे कि पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण विभाग तथा शिक्षा विभाग एवं समाज के समस्त वर्ग के लोगों की सहभागिता से संभव हो पाया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार देवभूमि को सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। प्रदेश के लोगों एवं बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों को सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी प्रदान करने तथा उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों एवं कानूनों के बारे जागरूक करने के लिए प्रिंट मिडिया, सोशल मीडिया, एफ.एम. रेडियो तथा अन्य सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं का आयोजन समय–समय पर किया जा रहा है।

पूरे विश्व में सड़क सुरक्षा एक ज्वलंत मुद्दा है क्योंकि प्रतिवर्ष लगभग 12 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं जबकि भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख 50 हजार लोगों की जानें जाती हैं जो वैश्विक संख्या का 12.5 प्रतिशत है जोकि एक गम्भीर विचारणीय विषय है।

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सड़क उपयोगकर्ताओं तथा आम लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए उन्हें सड़क सुरक्षा संकेतों, चिन्हों एवं अन्य सड़क सुरक्षा से संबंधित उपायों की जानकारी प्रदान करना अति आवश्यक है ताकि वे जिम्मेदार नागरिकों के कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

◈◈◈◈◈

ई-परिवहन व्यवस्था

ई–परिवहन व्यवस्था का उद्देश्य आम जनता को विभाग की ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना है। आम जनता इन सेवाओं का लाभ अपने घर या नजदीक के किसी भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लोकमित्र केंद्रों से प्राप्त कर सकती है। जो लोग किसी कारणवश से ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने में असमर्थ हैं, वे निकटतम आरटीओ और एसडीएम कार्यालय में जाकर इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते है।

सेवाएं

- लर्नर लाईसेंस सम्बन्धी सेवाएं
- लर्नर और ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए बुकिंग
- वाहनों की फिटनेस के लिए बुकिंग
- मालगाड़ी / टैक्सी / मैक्सी / बसें (AITP/CC), प्राईवेट सर्विस वाहन परमिट सम्बन्धित सेवाएं
- मालगाड़ी के लिए राष्ट्रीय परमिट
- फिटनैस प्रमाणपत्र की डुप्लीकेट कॉपी
- टोकन टैक्स / एसआरटी / समग्र शुल्क का भुगतान
- स्पेशल परमिट

पंजीकरण प्रमाण पत्र सम्बन्धित सेवाएं

- सभी प्रकार के वाहनों के लिए एनओसी
- हाइपोथिकेशन जोड़ / समाप्ति
- पंजीकरण प्रमाणपत्र में पते का परिवर्तन
- पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण
- स्वामित्व का हस्तांतरण
- डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाणपत्र
- मोटरयान में परिवर्तन

लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस सम्बन्धित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए शर्त

- स्कैन की गई तस्वीर और हस्ताक्षर (20kb से कम आकार के)
- स्कैन किए गए निवास प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज (199kb से कम आकार के)

पंजीकरण प्रमाणपत्र सम्बन्धी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए शर्त

- स्कैन किए गए सम्बंधित प्रपत्र वाहन स्वामी के हस्ताक्षर के साथ (199kb से कम आकार के)
- स्कैन किए गए अन्य आवश्यक दस्तावेज यानी निवासी प्रमाणपत्र इत्यादि (199kb से कम आकार के)

सेवाओं को कैसे प्राप्त करें ?

- परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं https:/himachal.nic.in/transportor https://parivahan.gov.in/parivahan/#
- e-Parivahan Vyavastha पर जाएं और आवश्यक सेवा का चयन करें।
- ऑनलाइन फॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- फीस जमा करवाएं।
- आरटीओ/एसडीएम कार्यालय द्वारा अनुमोदन के बाद, दस्तावेजों का पोर्टल से प्रिंट लें।
- Digilocker और m-Parivahan apps में दस्तावेजों को डाउनलोड करें।

सेवाएं कहाँ से प्राप्त की जा सकती हैं?

- आरटीओ/एसडीएम कार्यालय
- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लोकमित्र केंद्र/CSC
- अपने घर से

डिजिलॉकर

डिजिलॉकर दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के भंडारण, सांझाकरण और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफार्म है जिसका उद्देश्य नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। डिजिलॉकर सिस्टम में जारी किए गए दस्तावेजों को मूल भौतिक दस्तावेजों के बराबर माना जाता है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 02.11.2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार, केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 139 को संशोधित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि मोटर वाहन का चालक या परिचालक पंजीकरण प्रमाणपत्र, बीमा, फिटनेस और परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस का भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

डिजिलॉकर में दस्तावेज कैसे डाउनलोड करें?

1. गूगल प्लेस्टोर में जाकर डिजिलॉकर डाउनलोड करें।
2. आधार नंबर या मोबाइल नंबर के माध्यम से डिजीलॉकर में लॉगिन करें।
3. एप्लीकेशन के बाईं ओर दर्शाये गए दस्तावेजों पर जाएं और सड़क परिवहन मंत्रालय का चयन करें और वांछित दस्तावेज डाउनलोड करें।
4. इन दस्तावेजों को डिजिलॉकर में रखें और मांग पर आर.टी.ओ./पुलिस अधिकारी को प्रस्तुत करें।

ड्राइविंग लाइसेंस

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 3(1) के अनुसार सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी मोटर वाहन चलाने के लिए प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस का होना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक वाहन चलाने की अनुमति नहीं होती जब तक उसके पास उस श्रेणी के वाहन को चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस न हो।

ड्राइविंग लाइसेंस स्थानीय लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) को उसके अधिकार क्षेत्र में, परिवहन वाहनों व ओमनी बस (किराए की मोटर गाड़ी) को छोड़कर, अन्य सभी मोटर वाहनों के लिए लाइसेंस प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरे शब्दों में, उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) हल्के मोटर वाहनों तथा दुपहिया वाहनों के लिए ड्राईविंग लाइसेंस प्रदान करता है। परिवहन वाहनों के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और सहायक जिला परिवहन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करने के लिए प्राधिकृत है।

आयु सम्बन्धी योग्यता

किसी भी व्यक्ति को तब तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता जब तक वह उस वाहन की श्रेणी हेतु निर्धारित आयु पूरी नहीं कर लेता जिसके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उसने आवेदन किया है। भारत में मोटर वाहन ड्राइविंग के लिए आयु सीमा निम्नानुसार है–

16 साल	–	50 सी॰सी॰ तक की इंजन क्षमता के मोटर साइकिल।
20 साल	–	परिवहन वाहन (सार्वजनिक सेवा वाहन, माल ढोने वाले वाहन, शैक्षणिक संस्थानों की बस या निजी सेवा वाहन) जो किराये, पारिश्रमिक या माल ढोने हेतु प्रयोग किया जाता हो।
18 साल	–	अन्य कोई वाहन।

वाहन के मालिक या जिस व्यक्ति के नियत्रंण में वह वाहन है, उसकी यह जिम्मेदारी है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास वैध लाइसेंस न हो या जो आयु संबंधी योग्यता पूरी नहीं करता हो, अपना वाहन चलाने की अनुमति न दें। ऐसा करना मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 180 के तहत अपराध है, जिसके लिए 3 महीने का कारावास अथवा 1000/– रूपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार

भारत में लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निम्न प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं–

- ## प्रशिक्षु लाइसेंस

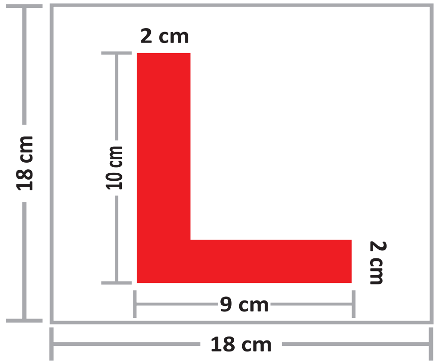

ड्राइविंग लाइसेंस लेने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पहले प्रशिक्षु लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।

प्रशिक्षु लाइसेंस धारक व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे वाहन के आगे और पीछे सफेद पृष्ठ भूमि पर लाल रंग से 'L' का निशान (पेंट या चिपकाया हुआ) प्रदर्शित होना चाहिए। 'L' अक्षर की ऊँचाई कम से कम दस सेंटीमीटर, मोटाई दो सेंटीमीटर व तल पर चौड़ाई नौ सेंटीमीटर होनी चाहिए जैसा सामने के चित्र में दिखाया गया है।

- ## ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविगं लाइसेंस पात्र व्यक्तियों, चाहे वे भारतीय नागरिक हों अथवा विदेशी, को जारी किया जा सकता है। लाइसेंस धारक को ड्राइविंग लाइसेंस पर उल्लेखित श्रेणी के वाहन चलाने की अनुमति होती है। ड्राइविंग लाइसेंस भारत के हर भाग में वैध होता है। आवेदक प्रशिक्षु लाइसेंस जारी होने की तारीख के तीस दिन बाद से लेकर प्रशिक्षु लाइसेंस की अवधि की समाप्ति तक कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।

परिवहन वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों हेतु ड्राइविगं लाइसेंस जारी करने की तिथि से बीस साल की अवधि तक अथवा ड्राइविंग लाइसेंस धारक की आयु पचास वर्ष होने तक की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए जारी किया जाता है। यदि धारक लाइसेंस जारी होने अथवा नवीनीकरण के समय पचास साल की उम्र पार कर चुका हो, तो लाइसेंस पाँच साल की अवधि के लिए जारी किया जाता है।

परिवहन वाहनों के लिए नया लाइसेंस अथवा नवीनीकरण तीन साल की अवधि के लिए किया जाता है। खतरनाक प्रकृति का सामान ले जाने वाले परिवहन वाहन के लिए यह अवधि केवल एक साल है।

- ## इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (आई॰डी॰पी॰)

जिन देशों के साथ भारत के राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं, उन्हें छोड़कर लाइसेंस प्राधिकारी भारतीय नागरिकों को अन्य देशों में वाहन चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करने हेतु सक्षम होता है। अतंराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट धारक व्यक्ति द्वारा विदेश में मोटर वाहन चलाते समय वहाँ के कानूनों और नियमों की पालना करना अनिवार्य है। आई॰डी॰पी॰ जारी करने की तिथि से अधिक से अधिक एक साल या ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता की अवधि, जो भी पहले हो, तक मान्य होता है।

ड्राइविंग लाइसेंस के वर्ग

भारतवर्ष में ड्राइविंग लाइसेंस वाहनों की श्रेणी के हिसाब से जारी किए जाते हैं। वाहनों की प्रत्येक श्रेणी में भी उनके सम्भावित इस्तेमाल के आधार पर परिवहन अथवा गैर परिवहन श्रेणी के अन्तर्गत ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं।

वाहनों के विभिन्न वर्ग निम्न प्रकार से हैं–

- बिना गियर मोटर साइकिल
- गियर युक्त मोटर साइकिल
- हल्का मोटर वाहन
- परिवहन वाहन
- विकलाँगों हेतु वाहन
- रोड़ रोलर
- विशेष किस्म के वाहन

वाहन को समझना आवश्यक है

एक चालक के लिये अपने वाहन को अच्छी तरह जानना अत्यन्त आवश्यक है। उसे वाहन के विभिन्न नियंत्रकों, सुरक्षा प्रणालियों, सूचकों, विभिन्न लाइटों और अलार्म आदि के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसलिये अपने वाहन की उपयोगकर्ता पुस्तिका (user guide) को अवश्य पढ़ें और वाहन की विभिन्न प्रणालियों और चेतावनी संकेतों से परिचित हो जाएँ जैसा कि निम्न चित्र में दिखाया गया है। वाहन की लाइटें, हॉर्न, ब्रेक, टायर और अन्य नियंत्रकों को नियमित रूप से चैक करें और सुनिश्चित करें कि वे सही कार्य कर रहें हों।

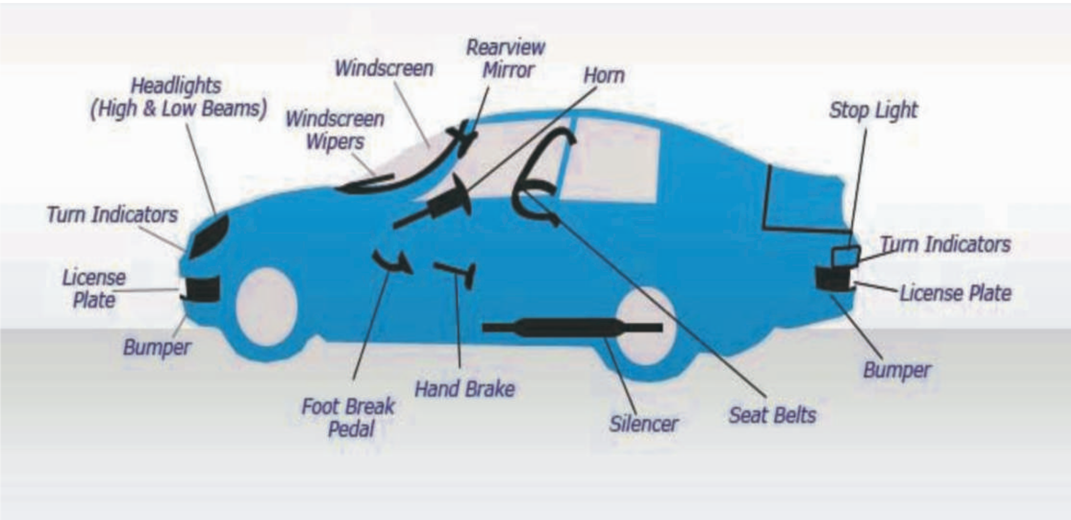

स्टीयरिंग व्हील

स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने का सही तरीका है कि आपके हाथ "Quarter to three" या "ten to two" पोजीशन में हो, जैसा कि चित्र 3 में दिखाया गया है। चालक को चाहिए कि स्टीयरिंग व्हील को लगातार पकड़े रहे व उसे कभी भी अनियन्त्रित न छोड़े। कभी एक हाथ से गाड़ी न चलायें। इसके अतिरिक्त, स्टीयरिंग व्हील को घुमाते समय कभी अपने हाथों को क्रॉस न करें। कभी भी स्टीयरिंग व्हील के अन्दर से हाथ डालकर किसी स्विच आदि को हैंडल न करें जैसा कि निम्न चित्रों में दर्शाया गया है।

चित्र 3

चित्र 4

चित्र 5

चित्र 6

चित्र 7

चित्र 8

हॉर्न

प्रत्येक मोटर वाहन में हॉर्न अनिवार्य होता है। हॉर्न का उद्देश्य ध्वनि के माध्यम से वाहन के स्थान या आगमन की पर्याप्त चेतावनी देना है। घंटी अथवा सायरन हॉर्न का विकल्प नहीं हो सकते। हॉर्न का उपयोग केवल जहाँ आवश्यक हो वहीं करें। Multi-toned हॉर्न यानि हॉर्न जो अनेक प्रकार की ध्वनियाँ, अपेक्षाकृत तीखी, कठोर या चेतावनी परक आवाज़ निकालता हो, केवल आपातकालीन वाहनों जैसे कि ऐम्बुलेंस, फायर इंजन, पुलिस वाहनों अथवा पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा अधिकृत वाहनों पर ही लगाया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बात है कि पर्यावरण संबंधी नियम हॉर्न के उपयोग पर भी लागू होते हैं। एक सामान्य नियम के रूप में, आप निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें–

- अनावश्यक रूप से और लगातार हॉर्न न बजाएँ।
- मौन क्षेत्रों (Silence Zones) में हॉर्न न बजाएँ।
- साइलेंसर के अलावा निकास गैसें निकालने के लिए किसी कट–आउट का प्रयोग न करें।
- कठोर, तीखी, जोरदार या चेतावनीपरक आवाज़ निकालने वाले (Multi-toned) हॉर्न यानि सायरन न लगवाएँ और न ही उनका प्रयोग करें।
- ऐसा वाहन न चलाएँ जो चलते समय अनुचित शोर करता हो।
- ऐसा वाहन न चलाएँ जिसका साइलेंसर चेतावनीपरक अथवा पटाखे जैसी आवाज़ करता हो।

नम्बर प्लेट

पंजीकरण चिन्ह, जिसे लाइसेंस या नंबर प्लेट के नाम से भी जाना जाता है, सभी मोटर वाहनों के सामने और पीछे दोनों ओर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है। नंबर प्लेट पर सफेद बल्ब या रियर लैम्प का समुचित प्रकाश रहना चाहिए।

नंबर प्लेट पर अक्षर अंग्रेजी में व अंक अरबी में होने चाहिए जैसे HP 07A 2121 । नंबर प्लेट पर देवनागरी अथवा किसी अन्य लिपि का प्रयोग वर्जित है। परिवहन वाहनों में नंबर प्लेट पर नंबर पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग से लिखे होने चाहिए तथा अन्य सभी वाहनों में नंबर सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग से लिखे होने चाहिए। लाइसेंस प्लेट पर पंजीकरण संख्या के अलावा अन्य कुछ भी प्रदर्शित, लिखित या चित्रित नहीं होना चाहिए।

साइलेंसर

सभी मोटर वाहनों में निकास गैसों के शोर को जितना हो सके कम करने के लिए साइलेंसर लगा होना चाहिए। किसी भी रिसाव के लिए साइलेंसर का नियमित रूप से निरीक्षण करें।

रिफ्लेक्टर

मोटर साइकिल व तिपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के पीछे दोनों ओर एक–एक लाल रिफ्लेक्टर लगा होना आवश्यक है। मोटर साइकिल के पीछे कम से कम एक लाल रिफ्लेक्टर लगा होना चाहिए।

सीट बैल्ट और एयर–बैग

सीट बैल्ट पहनना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इससे दुर्घटना की स्थिति में चोट लगने या मृत्यु होने की संभावना बहुत कम हो जाती है।

सीट बैल्ट को सही ढंग से पहनना बहुत महत्त्वपूर्ण है। कंधे का पट्टा हमेशा कंधे के ऊपर से डालें, ना की बाजू के नीचे से। गोद के पट्टे को पेट पर डालने के बजाय हमेशा बैल्ट के ऊपर से डालें।

सीट बैल्ट की तरह एयर–बैग भी टकराव के दौरान गंभीर शारीरिक चोट को रोकने और मृत्यु से बचने के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि यदि आपके वाहन में एयर–बैग लगे हों, तो आपको सीट बैल्ट अवश्य पहननी चाहिए, क्योंकि एयर–बैग तभी चोट को रोकने में सहायक होते हैं यदि आपने सीट बैल्ट लगा रखी हो। यदि आपने सीट बैल्ट नहीं पहनी है तो एयर–बैग से शारीरिक चोट भी लग सकती है।

प्रदूषण नियंत्रण

हर मोटर वाहन में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो छह महीने के लिए मान्य होता है। नए मोटर वाहन को पंजीकरण की तिथि के एक वर्ष बाद प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के लिए पुनः प्रमाणित करवाना होता है। प्रदूषण प्रमाण पत्र हर समय वाहन में होना चाहिए।

यातायात संकेत, सूचक और सड़क चिन्ह

यातायात संकेत, सूचक तथा सड़क पर बने चिन्ह चालकों को सुरक्षित वाहन चलाने, यातायात को नियमित करने, चालक को आगे आने वाले खतरों से सावधान करने व मार्ग में उपलब्ध सुविधाओं बारे स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बनाये गये हैं। यातायात के संकेत सड़क के नियमों का स्पष्ट व सटीक अर्थ बेहद सरल तरीके से तस्वीरों के माध्यम से बतलाते हैं। इसलिए प्रत्येक वाहन चालक को सड़कों व राजमार्गों पर पाये जाने वाले यातायात संकेतों का पूरा ज्ञान होना चाहिए और इसे हर समय उनका पालन करना चाहिए।

संकेत

यातायात के संकेत इण्डियन रोड़ कांग्रेस (आई॰आर॰सी॰) द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं। ये संकेत चिन्हों और चित्रों का उपयोग कर बनाये गए हैं। इनका देश भर में समान रूप से पालन किया जाता है। इनका अर्थ तुरंत स्पष्ट करने के लिए प्रत्येक संकेत को एक विशिष्ट आकार और रंग इस प्रकार से दिया गया है कि चालक दूर से बिना पढ़े ही मात्र देख कर इनका अर्थ समझ सके। सड़क संकेत तीन प्रकार के होते है–

- अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत
- चेतावनीपरक संकेत
- सूचनापरक संकेत

अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत

इस वर्ग के संकेत अनिवार्य होते हैं यानि इनका हर समय पालन किया जाना अनिवार्य है। 'स्टॉप संकेत' व 'गिव–वे संकेत' को छोड़कर अन्य सभी अनिवार्य संकेत आकार में गोल होते हैं। अनिवार्य संकेत नीचे दर्शाये गये हैं –

स्टॉप संकेत

इस संकेत का अर्थ है कि आप रूकें, देखें व जब सुरक्षित हो तो आगे बढ़े। यह संकेत उन मार्गों पर प्रयुक्त होता है जहाँ ट्रैफिक को मुख्य सड़क अथवा चौराहे पर प्रवेश करने से पूर्व रुकना अनिवार्य होता है।

गिव–वे संकेत

इस संकेत का अर्थ है कि आप ऐसे वाहनों को रास्ता दें, जिन्हें मार्ग का अधिकार (right-of-way) है।

नो– एन्ट्री संकेत

यह चिन्ह उन स्थानों पर लगाया जाता है जहाँ सभी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध हो।

आगे जाना वर्जित यानि नो एन्ट्री संकेत

यह चिन्ह उन जगहों पर होता है जहाँ वाहनों का प्रवेश सीधे आगे जाना निषिद्ध हो।

वन–वे संकेत

एक दिशा में यातायात प्रतिबन्धित है। यह संकेत दर्शाता है कि ट्रैफिक का आगे जाना मना है।

वन–वे संकेत

एक दिशा में यातायात प्रतिबन्धित है। यह संकेत दर्शाता है कि सामने की दिशा से वाहनों का आना मना है।

दोनों दिशाओं में आवागमन निषिद्ध संकेत

यह चिन्ह उन जगहों पर होता है जहाँ दोनों दिशाओं में वाहनों का यातायात वर्जित हो।

सभी वाहन निषिद्ध

ट्रक निषिद्ध

बैल–गाड़ी व ठेला निषिद्ध

बैल–गाड़ी निषिद्ध

तांगा निषिद्ध

ठेला निषिद्ध

साइकिल निषिद्ध

पैदल यात्री निषिद्ध

दायाँ मोड़ निषिद्ध

बायाँ मोड़ निषिद्ध

वापिस मुड़ना (U-Turn) निषिद्ध

ओवरटेक करना निषिद्ध

हॉर्न निषिद्ध

नो–पार्किंग

रुकना या पार्क करना निषिद्ध

गति सीमा

चौड़ाई सीमा

ऊँचाई सीमा

लंबाई सीमा

भार सीमा

एक्सल भार सीमा

प्रतिबंध समाप्त

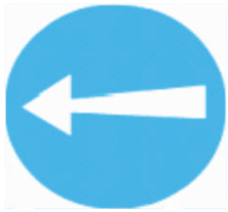

अनिवार्य बायाँ मोड़

सीधा जाना अनिवार्य

अनिवार्य दायाँ मोड़

सीधा जाना या दाएँ मुड़ना अनिवार्य

सीधा जाना या बाएँ मुड़ना अनिवार्य

बाएँ रहना अनिवार्य

अनिवार्य साइकिल रास्ता

हॉर्न बजाना अनिवार्य

चेतावनीपरक संकेत

चेतावनीपरक संकेत वाहन चालकों को आगे आने वाली असामान्य परिस्थितियों या खतरों के बारे में सावधान करने के लिए होते हैं। ये संकेत आकार में तिकोने होते हैं। मोटरयान अधिनियम, 1988 में निम्नलिखित चेतावनीपरक संकेत वर्णित हैं–

दाईं ओर मोड़

बाँईं ओर मोड़

दाईं ओर दोहरा मोड़

बाँईं ओर दोहरा मोड़

दाहिने मुड़कर फिर आगे

बाएँ मुड़कर फिर आगे

आगे चढ़ाई है

आगे उतराई है

संकरा पुल

आगे सड़क चौड़ी है

आगे सड़क तंग है

फिसलन भरी सड़क

बिखरी बजरी

पैदल यात्री पार पथ

साइकिल पार पथ

आगे स्कूल है

काम चालू है

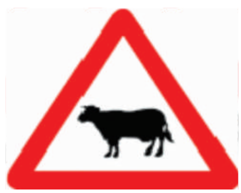

पशु

पत्थर गिरने की संभावना

नाव

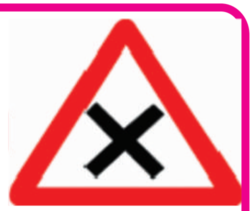

चौराहा

मध्यरेखा मे अन्तराल

दाईं ओर रास्ता है

बाँई ओर रास्ता है

बाईं तरफ वाय जंक्शन

दाईं तरफ वाय जंक्शन

वाय जंक्शन

टी–जंक्शन

विषम सड़क संगम

विषम सड़क संगम

आगे मुख्य सड़क है

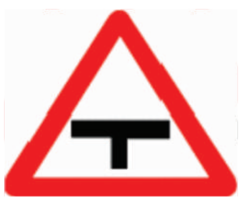

आगे मुख्य सड़क है

गोल चक्कर

खतरनाक गहराई

रबड़ स्ट्रिप

उभार या खराब रास्ता

स्पीड–ब्रेकर

आगे बैरियर है

मोड़ों की श्रृंखला

घाट या नदी का किनारा

द्वि–मार्ग प्रारम्भ

द्वि–मार्ग समाप्त

मानव रहित रेल पारपथ

फाटक वाला रेल पारपथ

लेन बंद
(दो–लेन मार्ग पर)

ऊपर तार है

यातायात संकेत

सूचनापरक संकेत

सूचनापरक संकेत वाहन चालकों को दिशा, गंतव्य तथा सड़क किनारे उपलब्ध सुविधाओं आदि की जानकारी प्रदान करते हैं। ये संकेत आकार में चौकोर या आयताकार होते हैं–

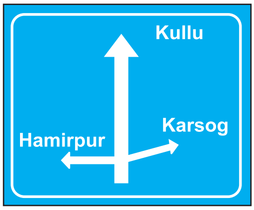

आगामी दिशा संकेत

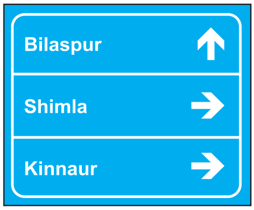

गंतव्य संकेत

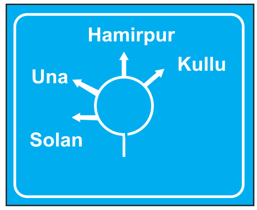

गोल चक्कर पर दिशा संकेत

दिशा संकेत

स्थान संकेत

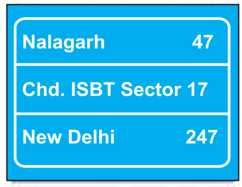

पुनराश्वासन संकेत

पैट्रोल पम्प दाहिनी ओर

अस्पताल बाईं ओर

प्राथमिक चिकित्सा स्थल

भोजन स्थल

अल्पाहार

विश्राम स्थल

आर–पार रास्ता नहीं है

सार्वजनिक दूरभाष

बस स्टॉप

दोनों ओर पार्किंग स्थल

स्कूटर व मोटर साइकिलों हेतु पार्किंग स्थल

साइकिलों हेतु पार्किंग स्थल

टैक्सी स्टैंड

ऑटोरिक्शा स्टैंड

साइकिल रिक्शा स्टैंड

पैदल यात्री सुरंगपथ

रेलवे स्टेशन

मुरम्मत सुविधा

विपरीत दिशा में बस लेन

बस लेन

ट्रैफिक लाइट

ट्रैफिक लाइटें चौराहों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए लगाई जाती हैं। कई चौराहों पर ट्रैफिक लाइटों के ऊपर बिजली संचालित तीर के निशान बने होते हैं। ये तीर के निशान यातायात के प्रवाह को निशान की दिशा में नियंत्रित करते हैं।

लालबत्ती

लाल बत्ती का अर्थ है कि चौराहे में प्रवेश से पहले स्टॉप लाइन या पैदल पारपथ से पहले रुकें तथा जब तक लाल बत्ती हरे रंग में नहीं बदल जाती, इंतज़ार करें। लाल बत्ती पर तीर के निशान का मतलब है कि तीर की दिशा में मुड़ना मना है।

पीली बत्ती

यदि चौराहे में प्रवेश से पहले बत्ती पीली हो जाती है, तो स्टॉप लाइन या पैदल पारपथ से पहले ही रुक जाएँ। यदि आपके चौराहे में प्रवेश करने के बाद बत्ती पीली होती है तो सावधानी पूर्वक चलते रहे तथा चौराहा पार कर लें। पीले तीर के निशान का मतलब है तीर की दिशा में सावधानी पूर्वक चलना।

हरीबत्ती

हरी बत्ती का अर्थ है कि आप चौराहे में पहले से चल रहे पैदल यात्रियों और अन्य वाहनों को जगह देते हुए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। हरा तीर इंगित करता है कि आप अपनी उचित लेन में रहते हुए तीर की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

फ्लैशिंग लाल व पीली बत्ती

फ्लैशिंग लाल बत्ती का अर्थ है कि आप स्टॉप लाइन या पैदल पारपथ से पहले रुकें तथा केवल तभी आगे बढ़ें जब सुरक्षित हो। फ्लैशिंग पीली बत्ती का अर्थ है कि आप धीमे व सावधानी पूर्वक चलते रहें।

पैदल पार पथ सूचक

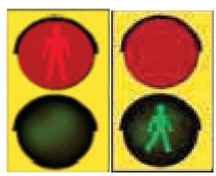

कई जगह पैदल पारपथ पर बत्तियाँ लगी होती हैं। ये सूचक पैदल चलने वालों को सुरक्षित रूप से सड़क पार करने में मदद करते हैं। यदि आप पैदल यात्री हैं तो हरी बत्ती (जिस पर पैदल चलने का चिन्ह बना होता है) होने पर सड़क पार कर सकते हैं।

ट्रैफिक लाइट की उल्लंघना कभी ना करें। बत्ती पीली होने के बाद यदि आपके पास सुरक्षित रूप से रुकने के लिए पर्याप्त जगह हो तो रुक जाएँ।

यातायात पुलिस द्वारा हाथ के संकेत

यदि यातायात पुलिस कर्मी यातायात को निर्देशित व नियंत्रित कर रहे हों, तो उनके हाथ के संकेतों का पालन करें, चाहे वे ट्रैफिक लाइटों या सूचकों से भिन्न भी क्यों न हों, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपात स्थिति हो। निम्नलिखित चित्रों में यातायात पुलिस द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न संकेत प्रदर्शित किये गए हैं–

पीछे से यातायात रोकें

आगे से आने वाला यातायात रोकें

पीछे व आगे से आने वाला यातायात रोकें

दाएँ व बाँए से यातायात रोकें

दाएँ से आ रहे यातायात को बाएँ मुड़ने की अनुमति

बाएँ से आ रहे यातायात को दाएँ मुड़ने की अनुमति

बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए एक से अधिक हाथ के संकेतों का एक साथ इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

ड्राइविंग की मूल बातें

मोटर वाहन के चालक के रूप में यह जरूरी है कि आप ड्राइविंग करते समय कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओं को समझें और उनसे परिचित हो जाएँ। ये वे सरल बातें हैं जिनका पालन सुरक्षित और रक्षात्मक ड्राइविंग के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

सुरक्षित ड्राइविंग के नियम

इस अनुभाग में सुरक्षित ड्राइविंग के कुछ महत्त्वपूर्ण नियम बताये गये हैं।

आगे जा रहे वाहन से दूरी

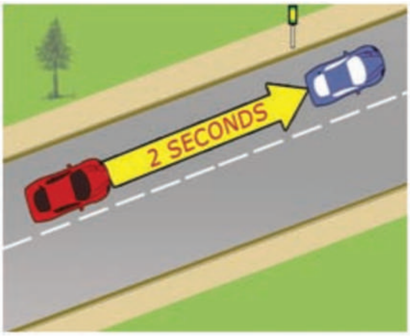

सुरक्षित ड्राइविंग के लिए अपने वाहन और आगे चल रहे वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें। इससे आपको आगे चल रहे वाहन की गति धीमी होने की अवस्था में अथवा अपनी लेन बदलने हेतु पर्याप्त समय व स्थान मिल जाता है। एक अच्छा चालक यातायात की स्थिति, अपने वाहन की गति, मौसम तथा दृश्यता (visibility) के अनुसार अगले वाहन से सुरक्षित दूरी तय करता है। सामान्य परिस्थितियों में इस दूरी को तय करने के लिए '2 सेकंड नियम' का प्रयोग किया जाता है।

2 सेकंड नियम का मतलब है कि आपको अपने वाहन को आगे जा रहे वाहन से इतनी दूरी पर रखना चाहिए कि यदि अगला वाहन रुक जाए तो आपके वाहन को उस तक पहुँचने में कम से कम 2 सेकंड लगें जैसा कि उपरोक्त चित्र 20 में दर्शाया गया है।

खराब मौसम जैसे बारिश, बर्फ, कोहरे या रात के समय पीछे चलने की दूरी को बढ़ा देना चाहिए।

मार्ग का अधिकार

दूसरे लोगों के साथ सड़क सांझा करते समय मार्ग का अधिकार बहुत महत्त्वपूर्ण नियम है। यह नियम निर्धारित करता है कि किन परिस्थितियों में किस वाहन को पहले जाने का अधिकार है। सभी वाहन चालकों और पैदल यात्रियों की जिम्मेदारी है कि यातायात के निर्बाध प्रवाह हेतु वे इस नियम का पालन करें। यह नियम शिष्टाचार और सामान्य ज्ञान पर आधारित है।

इस नियम को समझने के लिए कुछ आम स्थितियों का वर्णन किया जा रहा है –

- ऐम्बुलेंस, दमकल वाहन, पुलिस वाहन जैसे आपातकालीन वाहनों को हर परिस्थिति में हमेशा मार्ग का अधिकार मिलता है (लेकिन तभी जब उनकी बत्ती जल रही हो)।

- ज़ेबरा पार पथ पैदल यात्रियों के लिए होता हैं। ज़ेबरा पार पथ और अनियंत्रित (जहाँ ट्रैफिक लाइट नहीं लगी होती) पैदल पार पथ पर पैदल चलने वालों को मार्ग का अधिकार होता है। ज़ेबरा पार पथ से पहले अपने वाहन को धीमा करें और सड़क पार कर रहे पैदल यात्रियों को पहले रास्ता दें।
- यदि आप गोल चक्कर (Round about) में प्रवेश करने वाले हैं तो जो वाहन आपके दाहिनी ओर हैं यानि पहले से ही गोल चक्कर में हैं, उन्हें मार्ग का अधिकार है।
- स्लिप लेन से बाएँ मुड़ने के बाद मुख्य यातायात में विलय होते समय मुख्य सड़क पर चल रहे वाहन को पहले रास्ता दें।
- मुख्य सड़क में मिलने से पहले यदि स्टॉप सूचक लगा हो, तो स्टॉप लाइन पर रुकें तथा मुख्य सड़क खाली होने पर ही आगे बढ़ें। ऐसे में मुख्य सड़क पर चल रहे वाहनों को मार्ग का अधिकार होता है।
- यदि दो वाहन एक ही समय एक अनियंत्रित जंक्शन पर पहुँच जाएँ तो दाईं ओर के वाहन को मार्ग का अधिकार होता है।
- जब दाएँ मुड़ रहे हों तो सामने से सीधे आ रहे अथवा बाएँ मुड़ रहे वाहनों को मार्ग का अधिकार है।
- यदि किसी चौराहे पर किसी ओर स्टॉप सूचक या स्टॉप लाइन न हो, तो स्टॉप लाइन पर खड़े वाहन को उस ओर से आ रहे वाहनों को मार्ग का अधिकार देना चाहिए जिस ओर स्टॉप सूचक या स्टॉप लाइन नहीं है।
- अनियंत्रित तिराहे में प्रवेश करते समय मुड़ने वाले वाहन को सीधे जाने वाले वाहनों के लिए रास्ता देना चाहिए।
- जंक्शन पर छोटी सड़क से आ रहे वाहनों को मुख्य सड़क पर चल रहे वाहनों के लिए रास्ता देना चाहिए।

◈◈◈◈◈

हिमाचल प्रदेश में यातायात नियमों का उल्लंघन करने व वाहन निर्माता, आयातक व वितरक द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत विक्रय करने सम्बंधी उपबंधों का उल्लंघन करने व वाहन की मूल बनावट में परिवर्तन करने पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रशमन (समझौते) के लिए जुर्माने की राशि

क्रम संख्या	धारा	प्रशमनीय अपराध Compoundable Offence	उपांतरित जुर्माना (गुणक 1.5 से गुणा करने के पश्चात्) Muliplied Fine (After multiplying with multiplier 1.5)	परानिहित प्राधिकारी द्वारा प्रशमन के लिए जुर्माने की सीमा (गुणक 1 से गुणा करने के पश्चात्) Limit of fine for compounding by designated/Specified Authorities
1.	177	उपबन्धों, नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उल्लंघन।	प्रथम अपराध के लिए ₹ 750/– तक और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए ₹ 2,250/– तक	प्रथम अपराध के लिए ₹ 500/– और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए ₹ 1500/–
2.	178 (1)	बिना पास या टिकट के यात्रा करना।	₹ 750/– तक	₹ 500/–
3.	178 (2)	मंजली गाड़ी के परिचालक द्वारा कर्त्तव्य की अवहेलना।	₹ 750/– तक	₹ 500/–
4.	178 (3) (क)	यदि संविदा गाड़ी (दुपहिया या तिपहियायान) का अनुज्ञप्तिधारी या चालक अधिनियम और नियमों के उल्लंघन में यान चलाने या यात्रियों को ले जाने से इन्कार करता है।	₹ 75/– तक	₹ 50/–
5.	178 (3) (ख)	यदि संविदा गाड़ी (दुपहिया या तिपहियायान के सिवाय) का अनुज्ञप्तिधारी या चालक अधिनियम और नियमों के उल्लंघन में यान चलाने या यात्रियों को ले जाने से इन्कार करता है।	₹ 750/– तक	₹ 500/–
6.	179	प्राधिकारी के आदेशों, निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा करना और बाधा डालना या उसे सूचित किए जाने से इन्कार करना।	₹ 3,000/– तक	₹ 1,000/–
7.	180	अनधिकृत व्यक्ति से मोटरयान चलवाना या उसे चलाने हेतु अनुमत्त करना।	₹ 7,500/–	₹ 5,000/–
8.	181	बिना अनुज्ञप्ति के यान चलाना (अधिनियम की धारा 3 या 4 के उल्लंघन में)।	₹ 7,500/–	₹ 5,000/–

9.	182 (1)	अधिनियम के अधीन निरर्हता के दौरान यान चलाना या तथ्य को प्रकट किए बिना आवेदन करना या अनुज्ञप्ति प्राप्त करना।	₹ 15,000/—	₹ 10,000/—
10.	182 (2)	यदि निरर्हित परिचालक, परिचालक के रूप में कार्य करता है या अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करता है या प्राप्त करता है।	₹ 15,000/— तक	₹ 5,000/—
11.	182 क (1)	अध्याय—7 के उपबन्धों के उल्लंघन में यदि निर्माता, आयातक या डीलर मोटरयान का विक्रय करता है या वितरित करता है या परिवर्तित करता है या विक्रय करने या वितरित करने या परिवर्तित करने का प्रस्ताव करता है।	ऐसे प्रति मोटरयान पर एक लाख पचास हजार रूपये ।	ऐसे प्रति मोटरयान पर एक लाख रूपये (फिक्सड) ।
12.	182 क (3)	कोई व्यक्ति यदि महत्वपूर्ण सुरक्षा घटक का विक्रय करता है या विक्रय करने का प्रस्ताव करता है या विक्रय की अनुमति देता है, जो अध्याय—7 के अनुपालन में नहीं है।	ऐसे प्रत्येक घटक पर एक लाख पचास हजार रूपये ।	ऐसे प्रत्येक घटक पर एक लाख रूपये (फिक्सड) ।
13.	182 क (4)	स्वामी द्वारा मोटरयान का ऐसी रीति में परिवर्तन करना जो अधिनियम या नियमों के अधीन अनुज्ञेय नहीं है।	₹ 7,500/— प्रति परिवर्तन	₹ 5,000/— प्रति परिवर्तन (फिक्सड)
14.	182 ख	धारा 110 के साथ पठित धारा 62 क का अतिक्रमण करने वाले वृहतर यानों के रजिस्ट्रीकरण और उपयुक्तता प्रमाण—पत्र पर रोक।	₹ 7,500/— (न्यूनतम) ₹ 15,000/— (अधिकतम)	₹ 7,500/—
15.	183 (1) (i)	धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमा के अतिक्रमण में हल्का मोटरयान चलाना।	₹ 1,500/— (न्यूनतम) ₹ 3,000/— (अधिकतम)	₹ 1,500/—
16.	183 (1) (ii)	धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमा के उल्लंघन में माध्यम माल/ यात्री यान या भारी माल/यात्री यान चलाना।	₹ 3,000/— (न्यूनतम) ₹ 6,000/— (अधिकतम)	₹ 3,000/—

17.	184	यान चलाते समय केवल हाथ से चलने वाले संचार उपकरण (उदाहरणार्थ मोबाइल फोन आदि) का उपयोग करने तक खतरनाक तरीके से वाहन चलाना।	प्रथम अपराध के लिए ₹ 1,500/– (न्यूनतम) ₹ 7,500/– अधिकतम) यदि द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध 3 वर्ष के भीतर किया जाता है तो ₹ 15,000/– (नियत)	प्रथम अपराध के लिए ₹ 2,500/– यदि द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध 3 वर्ष के भीतर किया जाता है तो ₹ 10,000/–
18.	186	किसी भी रोग या निःशक्तता से पीड़ित होने पर यान चलाना जो जनता के लिए खतरे का कारण (स्त्रोत) हो सकता है।	प्रथम अपराध के लिए ₹ 1,500/– तक और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ₹ 3,000/– तक।	प्रथम अपराध के लिए ₹ 1,000/– और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ₹ 2,000/–
19.	189	सार्वजनिक स्थानों पर रेसिंग (दौड़) या गति का परीक्षण।	प्रथम अपराध के लिए ₹ 7,500/– (नियत), पश्चातवर्ती अपराध के लिए ₹ 15,000/– (नियत)।	प्रथम अपराध के लिए ₹ 5,000/–; पश्चातवर्ती अपराध के लिए ₹ 10,000/–
20.	190 (2)	यान चलाते समय सड़क सुरक्षा, ध्वनि नियन्त्रण या वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में निर्धारित मानकों अतिक्रमण करना।	प्रथम अपराध या पश्चातवर्ती अपराध के लिए ₹ 15,000/– तक।	प्रथम अपराध या पश्चातवर्ती अपराध के लिए ₹ 5,000/–
21.	192	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के बिना यान का उपयोग करना।	प्रथम अपराध के लिए ₹ 3,000/– (न्यूनतम) – ₹ 7,500/– (अधिकतम) और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ₹ 7,500/– (न्यूनतम) ₹ 15,000/– (अधिकतम)।	प्रथम अपराध के लिए ₹ 3,000/– और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ₹ 6,000/–
22.	192 क	अनुज्ञप्ति की शर्तों या धारा 66(1) के उल्लंघन में यान चलाना या यान चलाने की अनुमति देना।	प्रथम अपराध के लिए या पश्चातवर्ती अपराध के लिए ₹ 15,000/–	प्रथम अपराध के लिए या पश्चातवर्ती अपराध हेतु ₹ 10,000/–
23.	194 (1)	अनुज्ञेय भार सीमा से अधिक मालयान चलाना या मालयान चलाने की अनुमति देना।	अतिरिक्त भार के लिए ₹ 30,000/– और ₹ 3,000/– प्रति टन	अतिरिक्त भार के लिए ₹ 20,000/– और ₹ 2,000/– प्रति टन
24.	194 (1) (क)	मालयान को ऐसी रीति से चलाना, चलाने की अनुमति देना कि भार यान के आकार (बॉडी) के किनारे से आगे या पीछे तक या अनुज्ञेय सीमा से अधिक ऊंचाई तक फैला हो।	₹ 30,000/–	₹ 20,000/–

25.	194 (2)	रोकने और माल यान को तुलाई करने के लिए प्रस्तुत करने से इनकार करना।	₹ 60,000/–	₹ 40,000/–
26.	194 क	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र या अनुज्ञप्ति शर्तों के द्वारा प्राधिकृत से अधिक यात्रियों के साथ यात्री परिवहन यान को चलाना, चलाने की अनुमति देना या चलाने के लिए अनुज्ञात करना।	₹ 300/– प्रति अतिरिक्त यात्री	₹ 200/– प्रति अतिरिक्त यात्री
27.	194 (ख) (1)	बिना सुरक्षा बेल्ट पहने मोटरयान चलाना या सीट बेल्ट नहीं पहने वाले यात्रियों को ले जाना।	₹ 1,500/–	₹ 1,000/–
28.	194 (ख) (2)	14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सुरक्षा बेल्ट या चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम के बिना मोटरयान चलाना या चलाने की अनुमति देना।	₹ 1,500/–	₹ 1,000/–
29.	194 ग	धारा 128 के अधीन ऐसे चालकों और पिछली सीट की सवारी के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन में मोटर साइकिल चलाना, चलाने की अनुमति देना।	₹ 1,500/–	₹ 1,000/–
30.	194 घ	धारा 129 के उपबन्धों के अतिक्रमण में मोटर साइकिल चलाना, या चलाने की अनुमति देना।	₹ 1,500/–	₹ 1,000/–
31.	194 ङ	यदि मोटरयान का चालक राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अग्निशमन सेवा यान या एम्बुलेंस या अन्य आपातकालीन यान को मुक्त–मार्ग (फ्री पैसेज) देने में विफल रहता है।	₹ 15,000/–	₹ 10,000/–
32.	194 च (क)	मोटरयान चलाते समय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनावश्यक रूप से या लगातार या आवश्यकता से अधिक हॉर्न बजाना या साइलेंस जोन में ट्रैफिक साइन के होते हुए हॉर्न का उपयोग करना।	प्रथम अपराध के लिए ₹ 1,500/– द्वितीय और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ₹ 3,000/–	प्रथम अपराध के लिए ₹ 1,000/– द्वितीय और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ₹ 2,000/–

33.	194 च (ख)	ऐसा मोटरयान चलाना जिसमें साईलेंसर के माध्यम से निकास गैस नहीं निकलती है।	प्रथम अपराध के लिए ₹ 1,500/– द्वितीय और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ₹ 3,000/–	प्रथम अपराध के लिए ₹ 1,000/– द्वितीय और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ₹ 2,000/–
34.	196	धारा 146 के अतिक्रमण में बिना बीमा के मोटरयान चलाना, चलाने की अनुमति देना या चलाने के लिए अनुज्ञात करना।	प्रथम अपराध के लिए ₹ 3,000/– पश्चातवर्ती अपराध के लिए ₹ 6,000/–	प्रथम अपराध के लिए ₹ 2,000/– पश्चातवर्ती अपराध के लिए ₹ 4,000/–
35.	198	अवैध रूप से प्रवेश करना, ले जाना या यान के ब्रेक या तंत्र के साथ छेड़छाड़ करना।	₹ 1,500/–	₹ 1,000/–